

11. बाज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है -

हों/नहीं

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हे कम करने का क्या प्रयास किया गया है -

हों/नहीं

13. समरेखण में आने वाले वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है -

हों/नहीं

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है -

हों/नहीं

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है -

हों/नहीं

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है -

हों/नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है

हों/नहीं

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है

हों/नहीं

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है -

(यदि हों तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है)

हों/नहीं

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है

हों/नहीं

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व से निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है -
(यदि पूर्व से निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

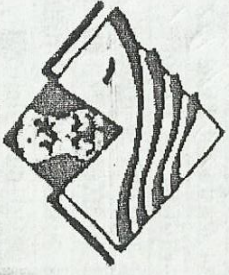
22. क्या मानचित्र से प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है -

हों/नहीं

23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है -

हों/नहीं

उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड शासन

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

खण्ड का नाम :- प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल

कार्य का नाम :- जनपद नैनीताल में नैनीताल-कालाढूंगी मोटर मार्ग के कि०मी० 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग बनाने का निर्माण कार्य।

लम्बाई :- 0.550 किमी०।

वन भूमि का विवरण

वन प्रभाग का नाम :- नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

आरक्षित वन भूमि
सिवल वन भूमि
वन पंचायत

0.495 है०

शून्य

शून्य

0.495 है०

कुल वन भूमि

विषय सूची

क्र०सं०	प्रतिवेदन	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या
1	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति		1
2	भारत सरकार के प्रपत्र		2-3
3	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट		4-10 & 10A
4	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल		11
5	प्रभावित वृक्षों की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची		12-13
6	वांज प्रजाति के वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र		14-15
7	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र		15A
8	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र		16
9	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का मानचित्र		17
10	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र		18-19
11	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना		20-22
12	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र		23
13	परियोजना का बार चार्ट		24
14	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण-पत्र		25
15	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रांतीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र		-
16	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र		26
17	आम सभा का प्रमाण-पत्र		27
18	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण-पत्र		28
19	वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र		29
20	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र		30
21	भू-वैज्ञानिक की आख्या		31-36
22	भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र		37
23	टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र		38
24	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र		39
25	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र		40
26	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र		41
28	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र		42
29	दुग्ने अवन्त वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र		43
30	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र		44
31	वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र		45
32	एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र		46
33	लागत लाभ विशलेषण प्रमाण-पत्र		-
34	प्रस्तावित स्थल, स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र		47
35	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना		48-49
36	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र		50-51
37	आर0सी0पी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण-पत्र		52
38	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र निर्देशिका का प्रयोग व लीज ऑन का प्रमाण पत्र		53
39	जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान		-
40	प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान एवं मदवार विवरण		-
41	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण-पत्र		54
42	कार्यस्थल पर श्रमिकों द्वारा रसोई गैस का प्रयोग किए जाने का प्रमाण पत्र		55

A proposal has been received by this office from Executive Engineering Department for diversion under FCA-1980 of 0.495 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of axamit d - kalgahungy mib k m z e t e axam mibay

.....The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-

225-2013

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RE/PE un-classed/Protect forest measuring 9.495 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC from competent authority, if required.-

The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation); Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para. C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place: Recruited
Date: 21-5-2013

..(Signature)

सनाधिकारी

Name.....

Designation:

Office Seal

N.B.:

xx state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

फैक्ट सीट

परियोजना का नाम : — जनपद नैनीताल में नैनीताल —कालाढुंगी मोटर मार्ग के कि०मी० 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का नव निर्माण कार्य

2. प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति अनुसार क्षेत्रफल

आरक्षित वन भूमि — 0.495

नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल —

सिविल सोयम वन भूमि — शुन्य

वन पंचायत भूमि — शुन्य

निजी भूमि — 1.305 $\frac{1}{2}$
— शुन्य हे०

योग — 1.806 $\frac{1}{2}$
— 0.495 हे०

3. प्रस्तावक विभाग का नाम — प्रांतीय खण्ड ,लो०नि०वि०, नैनीताल

4. वन प्रभाग का नाम — नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।

5. प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है — हों/नहीं

6. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है — हों/नहीं

7. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग

1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना

भरी गई है — हों/नहीं

8. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर

दिनांक व स्थान भरा गया है — हों/नहीं

9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व

दर्शाया गया है — हों/नहीं

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची व

प्रमाण—पत्र संलग्न हैं — हों/नहीं